ई–विधि से जारी

सं0 15(6)2020/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(विनियमात्मक अनुपालन प्रभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

दिनांक 11 अप्रैल, 2020

आदेश

विषय : खाद्य उत्पादों के लाइसेंसशुदा उत्पादकों/प्रसंस्कर्ताओं और आयातकों द्वारा वार्षिक/अर्ध–वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण – कोविड–19 विश्वमारी के कारण समय–सीमा बढ़ाने के संबंध में

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 2 के अनुबंध 3 के खंड सं0 2.1.13 और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रिलेबलरों/रिपैकरों सहित खाद्य का उत्पादन/प्रसंस्करण और आयात करने वाले सभी लाइसेंसशुदा खाद्य कारोबारियों को प्रपत्र डी–1 में अपने खाद्य कारोबार की वार्षिक विवरणी हर वर्ष 31 मई तक तथा दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन/प्रसंस्करण करने वाले खाद्य कारोबारियों को अर्ध–वार्षिक विवरणी प्रपत्र डी–2 में पूर्ववर्ती अर्ध वर्ष की समाप्ति के एक माह के अंदर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है।

2. कोविड–19 विश्वमारी के फलस्वरूप हुए लॉकडाउन की अवधि के दौरान खाद्य कारोबारियों द्वारा वार्षिक/अध–वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक विवरणी और अक्टूबर, 2019 – मार्च, 2020 अवधि की अर्ध–वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा दिनांक 31 मई, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।

3. खाद्य कारोबारी अपनी विवरणियाँ ई–मेल/हार्ड कॉपी के माध्यम से संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को वांछित प्ररूप (डी1/डी2) में भेजेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की सूची एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर निम्नानुसार उपलब्ध हैः

i) केंद्रीय लाइसेंस (100xxxxxxxxxxx), केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी का विवरण (http://fssai.gov.in/cms/designated-officer.php)

ii) राज्य लाइसेंस (1xxxxxxxxxxx), राज्य खाद्य प्राधिकारी का विवरण (http://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php)।

4. इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16 (5) के तहत खाद्य प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ. शोभित जैन)

कार्यकारी निदेशक (अनुपालन कार्यनीति)

ई–मेल : ed-office@fssai.gov.in

सेवा में –

1. खाद्य उत्पादों का उत्पादन/प्रसंस्करण/आयात करने वाले एफ.एस.एस.ए.आई के सभी लाइसेंसशुदा खाद्य कारोबारी
2. सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त
3. एफ.एस.एस.ए.आई के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशक
4. सीआईटीओ, एफ.एस.एस.ए.आई – वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई के निजी सचिव
2. मुख्य कार्यकारी, एफ.एस.एस.ए.आई के निजी सचिव
3. प्रमुख (आरसीडी)